

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 03)/2026/ई-14701

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि दिनांक 01-04-2026 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 31-03-2028 तक के लिये ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि. के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रुपयों में)	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	248	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की तहसील लुणकरणसर की राजस्व सीमा में ग्राम दुलमेरा में खनिज सैण्डस्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर)	आरसीसी	खनिज सैण्डस्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	680438	16-03-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	227	खनि अभियन्ता, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाडा व नयागांव को छोड़कर) एवं जिला सलुम्बर की तहसील सराडा व सेमारी की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनिज मेसेनरी स्टोन के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	315681285	16-03-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
3	23	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन व मिलस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सैण्ड स्टोन व मिलस्टोन	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मिलस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार /माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	173230567	16-03-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
4	3	सहायक खनि अभियन्ता, डीडवाना	जिला डीडवाना-कुचामन की तहसील डीडवाना के राजस्व ग्राम पावा कोनियाडा-कोडिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	26157657	16-03-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.



5	5	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर, मूण्डवा एवं जायल के राजस्व ग्राम रोल की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	33279935	16-03-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
6	104 (155)	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़, आंधी, आमेर, रामपुरा-डाबडी एवं जालसू की राजस्व सीमा में प्रधान एवं प्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, गिट्टी, सोपस्टोन व क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, गिट्टी, सोपस्टोन व क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	448005619	16-03-2026	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
7	38	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील बस्सी, तूंगा, चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा एवं सांगानेर की राजस्व सीमा में अप्रधान एवं प्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, गिट्टी, मार्बल, क्वार्टजाईट, चाईना कले, पायरोफलाईट, ग्रेनाईट व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, गिट्टी, मार्बल, क्वार्टजाईट, चाईना कले, पायरोफलाईट, ग्रेनाईट व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	257937073	16-03-2026	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
8	84	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर ग्रामीण के गांव भाडखा, कपूरडी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी	ईआरसीसी	मुलतानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3439800	16-03-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
9	168	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. वसूली व खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. वसूली ठेका	ईआरसीसी/ आरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क, प्रिमीयम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	959892034	17-03-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
10	170	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल व मुण्डवा की राजस्व सीमा में खनिज चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	379772813	17-03-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
11	63	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी (नवसृजित तहसील प्रतापगढ) की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	373133260	17-03-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.

12	82	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी के ग्राम बिराई तथा जिला जोधपुर की तहसील ओसियां के ग्राम बडा कोटेचा की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन, मेसेनरी स्टोन व सिलिका सेण्ड	आरसीसी	खनिज सेण्ड स्टोन, मेसेनरी स्टोन व सिलिका सेण्ड	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	18922709	17-03-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
13	256	खनि अभियन्ता, बाइमेर	जिला बाइमेर एवं जिला बालोतरा (तहसील सिवाना व समदडी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, चायना कले व बॉल कले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, चायना कले व बॉल कले	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, चायना कले व बाल कले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	74104838	17-03-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
14	263	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट कले, चाईना कले, बॉल कले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट कले, चाईना कले, बॉल कले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट कले, चाईना कले, बॉल कले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	78765154	17-03-2026	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
15	27	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील धैर व भुसावर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	341112133	17-03-2026	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
16	21	सहायक खनि अभियन्ता, सावर	संपूर्ण जिला अजमेर, व्यावर (तहसील जैतारण, रायपुर व बदनोर को छोड़कर) एवं केकडी (तहसील टोडारायसिंह को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट व ग्रेनाईट खण्ड (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में हो)	ईआरसीसी	ग्रेनाईट व ग्रेनाईट खण्ड (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में हो)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	822478814	17-03-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
17	13	सहायक खनि अभियन्ता, जैतारण	जिला व्यावर की तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम बर, फतहखेडा, लवाया, बिराटीयाखुदै/कलां की सीमा में खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्ड के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्ड	आरसीसी	फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	12415690	18-03-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

18	35	खनि अभियन्ता, बिर्जोलिया	जिला भीलवाडा की तहसील बिर्जोलिया एवं माण्डलगढ व जिला चित्तौडगढ की तहसील बैंगू की राजस्व सीमा में स्वीकृत क्वारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन (पट्टी, फर्शी, ब्लोक, कोबल्स, खण्ड)	आरसीसी	सेण्डस्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	649205683	18-03-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
19	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियांबडी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	ईआरसीसी	खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	78173395	18-03-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
20	4 (202)	सहायक खनि अभियन्ता, डीडवाना	जिला डीडवाना-कुचामन की तहसील डीडवाना के क्षेत्र कोलिया, बालिया, पीर पहाड़ी एवं रायसिंहपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	28487579	18-03-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
21	159	सहायक खनि अभियन्ता, जैतारण	जिला व्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले, सिलिका सेण्ड एव फॉयर क्ले	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले, सिलिका सेण्ड एव फॉयर क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	64001821	18-03-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
22	171(58)	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैंथल व कुण्डल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झौंकरा, सोपस्टोन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झौंकरा, सोपस्टोन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	56582530	18-03-2026	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
23	204	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	468201000	18-03-2026	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
24	162	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली एवं नैनवां (कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले खनन ग्राम की राजस्व सीमा) में खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले के स्वीकृत पट्टों से निर्गमित खनिज रेड एवं यलो ऑकर व चाईना क्ले	ईआरसीसी	रेड ऑकर, येलो ऑकर व चाईना क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4016517	18-03-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

25	80	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन	ईआरसीसी	सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	744097	19-03-2026	10.00 ए.एम. से 12. 00 दोपहर
26	31	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील बेंगू के क्वारी क्षेत्र भिचौर, पारसोली में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी व गिट्टी) (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	आरसीसी	लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी व गिट्टी) (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	24058000	19-03-2026	11.00 ए.एम. से 01. 00 पी.एम.
27	29	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील भीलवाडा व सहाडा व हमीरगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	103599000	19-03-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
28	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2670224	19-03-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
29	89	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली, बून्दी, नैनया व तालेडा (कार्यालय ख.अ. बून्दी II के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम की राजस्व सीमा) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	31428360	19-03-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
30	261	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी संग्रहण एवं उक्त क्षेत्र में खनिज जिप्सम के स्वीकृत एसटीपी से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी, प्रीमियम शुल्क एवं परमिट शुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी/ ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	46984657	19-03-2026	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

31	88	खनि अभियन्ता, कोटा	जिला कोटा की तहसील लाडपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन व सेण्डस्टोन के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	8431830	19-03-2026	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
32	101	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़	जिला प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	65970147	19-03-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
33	99	खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा आबापुरा एवं छोटी सरवन की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	109987459	24-03-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें-

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जायेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 9 में ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं कॉलम संख्या 10 में ऑन लाईन बोली के निर्धारित समय (विस्तारित अथवा सम्मिलित नहीं) समाप्त के पूर्व तक बोलीदाता सम्बन्धित ठेके की बिड प्रतिभूति राशि अपने ई-वॉलेट से जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-वॉलेट में जमा कराई गई लम्पसम राशि का ई-वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश जमा लम्पसम राशि ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक ई-वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित नहीं होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।
- ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जायेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- ठेका अथवा प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस / परमिट के खण्डित / सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं।
- ई-नीलामी हेतु गार्डलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अग्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अग्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाइट mstcecommerce.com पर दी जायेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जायेगा।

(क) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-आ का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन कराना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रुपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञापित में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्युरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
 - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञापित तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ.ब.स.द.ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 - iii नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
 - iv बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - v बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

- v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / GSTIN की प्रति।
- vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ई मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 03)/2026/ई-14701

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
- ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/मीलवाडा/राजसमंद।
- स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/
/राजसमन्द-1/II/आमेट/मीलवाडा/चित्तौडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुझुन्/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।
- य -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बारा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी/जैतारण/डीडवाना/गंगापुर।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक